शिक्षा संवाद
2023, 10(1): 65-72
ISSN: 2348-5558
©2023, संपादक, शिक्षा संवाद, नई दिल्ली

आलेख

एकाधिक प्रवेश-निकास : कार्यान्वयन, मुद्दे और चुनौतियाँ

स्नेहा अभिशेख
दिल्लीविश्वविद्यालय
ईमेल-snehaabhisekh25@gmail.com

सार

भारत सरकार ने जनवरी 2021 में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच राष्ट्रीय क्रेडिट अंतरण ढाँचा पर एक समिति का गठन किया था। राष्ट्रीय क्रेडिट अंतरण ढाँचा विभिन्न निकास बिंदुओं पर संस्थानों के बीच छात्रों की गतिशीलता को सक्षम बनाएगा। एकाधिक प्रवेश-निकास, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर विनियमन और राष्ट्रीय क्रेडिट अंतरण ढाँचा बनाने के प्रयासों पर दिशानिर्देश जारी किए गए है। यद्यपि, एक संस्थान के मुखिया और उच्च शिक्षा के शिक्षकों को एकाधिक प्रवेश-निकास प्रणाली के कार्यान्वयन के कुछ मुख्य मुद्दों और चुनौतियों को समझना चाहिए।

कूटशब्द: क्रेडिट फ्रेमवर्क, शिक्षा नीति-2020, यूजीसी, क्रेडिट अंतरण।

शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों पर पिछली नीतियों की कमियों को रेखांकित करते हुए वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि यह नीति पिछली नीतियों के अधूरे काम को पूरा करने का भरपूर प्रयास करती है'। यह शिक्षा नीति शिक्षा को पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढावा देने के की मूलभूत आवश्यकताओं पर ज़ोर देती है। साथ ही, यह नीति गुर्वत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने और वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आवश्यक विकास की कुंजी है। यह नीति उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव और नए जोश के संचार के लिए उपर्युक्त अवश्यकतों को दूर करने के लिए कहती है। जिससे

सभी युवा लोगो को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्ता, समान अवसर देने वाली एवं समवेशी उच्चतर शिक्षा मिले। इस नीति में वर्तमान उच्चतर शिक्षा प्रणाली में एकाधिक प्रवेश निकास का विकल्प दिया है। आगे कि चर्चा एकाधिक प्रवेश-निकास और उसकी प्रक्रिया से जुड़ी है।

एकाधिक प्रवेश-निकास क्या है ?

एकाधिक प्रवेश और निकास से अभिप्राय- उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए एक से अधिक विकल्प और बाहर निकलने के लिए भी एक से अधिक विकल्प उपलब्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि उच्च शिक्षा में अब कभी भी प्रवेश लिया जा सकता है और कभी भी पढ़ाई छोड़ी जा सकती है और छोड़ने के उपरांत पुनः प्रवेश लिया जा सकता है, यानी अब पढ़ाई छोड़ने पर कोई नुकसान नहीं होगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक महत्वकांक्षी सिफारिश है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में उच्च शिक्षा संस्थानों में एकाधिक प्रवेश निकास का प्रस्ताव किया गया है। इसका उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बिन्दु संख्या11.5 में किया गया गया है। इस बिन्दु के अनुसार "*कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएं अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी, और कई प्रवेश और निकास बिन्दुओं के विकल्प होंगे। इस तरह से आज की कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढावा मिलेगा। बडे बहू-विषयक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर (मास्टर और डॉक्टरेट) की शिक्षा, कठोर अनुसंधान-आधारित विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ-साथ अकादमिक (शिक्षा जगत), सरकार और उद्योग सहित, बहू-विषयक कार्यों के अवसर भी प्रदान करेगा"।*

तीन वर्षीय स्नातक और दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के कार्यक्रम की कठोर प्रावधानों के आलोक में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में यह सिफारिश की गई है। वर्तमान में, एक छात्र को तीन साल के स्नातक कार्यक्रम को तीन साल में सफलतापूर्वक पूरा करना होता है जिसमें एक निश्चित समय में पहले से दूसरे वर्ष और दूसरे से तीसरे वर्ष में सफल प्रवेश

होना होता है। एक विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में पहले से दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए लचीलापन होता है और यदि कोई छात्र सेमेस्टर/वर्ष में कुछ न्यूनतम क्रेडिट पूरा करता है तो दूसरे से तीसरे वर्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसलिए, विस्तारित या दो वर्ष में स्नातक कार्यक्रम पूरा करना संभव है। निर्दिष्ट क्रेडिट के स्नातक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, एक छात्र को रोजगारोन्मुखी या स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च अध्ययन में प्रवेश के लिए एक उपाधि प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के दोनों स्तरों पर केवल एक प्रवेश और निकास बिंदु हैं स्नातक और साथ ही स्नातकोत्तर एक प्रवेश और निकास बिंदु के बीच, यदि कोई छात्र एक सेमेस्टर/वर्ष से दूसरे सेमेस्टर में सफल प्रवेश करने में असफल रहता है तो छात्र के पास अध्ययन छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। एक छात्र के लिए व्यक्तिगत नुकसान यह है कि उसे सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम और अर्जित क्रेडिट के लिए भी किसी भी प्रमाण-पत्र से वंचित किया जाता है। परिणामस्वरूप, वह कभी भी उच्च शिक्षा संस्थानों में वापसी करने में सक्षम नहीं है जब तक वह प्रारंभ से शुरू न करें, यह समग्र रूप से उच्च शिक्षा प्रणाली की दृष्टि से, तकनीकी रूप से कहा जाए तो व्यवस्था का अपव्यय (निम्न दक्षता) माना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का प्रस्ताव है कि यदि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कई प्रवेश और निकास बिंदु बनाए जाते है तो छात्रों को पूर्ण किए पाठ्यक्रम के भाग का प्रमाण-पत्र मिल सकता है। दूसरी ओर, उच्च शिक्षा प्रणाली की दक्षता में वृद्धि होगी क्योंकि पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर कम होगी। यदि कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचना की प्रस्तुत की जाती है तो एकाधिक प्रवेश-निकास के औचित्य को विस्तृत किया जा सकता है और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की पसंद की सीमा को विस्तृत करते हुए इसमें आगे बहु-विषयक पाठ्यक्रम जोड़ा जाता है। नीति में कहा गया है कि यह रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है क्योंकि आज कई विषयों के ज्ञान वाले छात्रों को रोजगार के क्षेत्र में ज्यादा पसंद किया जाता है। नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एकाधिक प्रवेश-निकास विकल्प जीवन पर्यंत शिक्षा को बढ़ावा देता है, बशर्ते कि अर्जित क्रेडिट को हर निकास बिंदु पर मान्यता प्राप्त हो, यह संग्रहीत किया जाता है और यह एक व्यक्ति के जीवन चक्र में जमा होता है।

एकाधिक प्रवेश-निकास : यह होगा कैसे ?

एकाधिक प्रवेश निकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश जारी किए है। यह यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगा। बहरहाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एकाधिक प्रवेश निकास प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए 'उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और निकास के लिए दिशानिर्देश (यूजीसी, 2021) महत्वपूर्ण है। बिन्दु -6 कार्यसंबंधी विवरण में प्रत्येक स्तर के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के साथ- साथ तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक स्तर के कार्यक्रम और एक वर्षीय/दो वर्षीय स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम के लिए 5 प्रवेश और 5 निकास बिंदुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। एकाधिक प्रवेश निकास विकल्पों की संभावना को समझने के लिए नीचे एक सरलीकृत तालिका प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1 : एकाधिक प्रवेश निकास विकल्प

पाठ्यक्रम	समेस्टर/वर्ष	प्रवेश	निकासी	प्रति वर्ष क्रेडिट	कुल क्रेडिट	स्तर (शिक्षा नीति में प्रस्तावित)
यूजी-प्रमाण पत्र	2/1	1	1	36-40	36-40	5
यूजी-डिप्लोमा	4/2	2	2	36-40	72-80	6
यूजी-डिग्री	6/3	3	3	36-40	108-120	7
यूजी-ऑनर्स	8/4	4	4	36-40	144-160	8
पीजी-डिप्लोमा	8/4	4	4	36-40	144-160	8
पीजी-डिग्री	10/5	5	5	36-40	180-200	9

उपर्युक्त तालिका-1 के अनुसार स्तर 5 प्रवेश 1 स्कूली शिक्षा के कक्षा 12 के सफल होने के बाद संभव है। एक वर्ष में 36-40 क्रेडिट अर्जित करने के बाद निकास 1 संभव है। एक छात्र समग्र एवं बहु- विषयक शिक्षा और एकाधिक प्रवेश निकास निकास 1 पर एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और संभवतः रोजगार प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। स्नातक प्रमाणपत्र पूरा करने के बाद स्तर 6 प्रवेश 2 संभव है इसलिए , संस्थान को स्तर 6 पर स्नातक प्रमाणपत्र प्राप्त छात्र के पार्श्व (लेटरल) प्रवेश के लिए कुछ सीट आरक्षित रखनी चाहिए। स्तर 6 पर निकास 2 संभव है यदि दो वर्षों में 72-80 क्रेडिट अर्जित किये जाने है यानि एक कक्षा

12 स्तर का छात्र 2 वर्ष में 72-80 क्रेडिट अर्जित करता है और एक स्नातक प्रमाणपत्र प्राप्त छात्र एक वर्ष में 36-40 क्रेडिट अर्जित करता है तो निकास 2 पर एक स्नातक डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है, यदि छात्र चाहता है तो रोजगार प्राप्त करने के लिए निकास कर सकता है और रोजगार के क्षेत्र में अपना भविष्य देख सकता है। इसी तरह, स्तर 7 पर प्रवेश और निकास हो सकता है। यह स्तर पूरा करने पर स्नातक उपाधि दी जाएगी। छात्र, इसके बाद, रोजगार के क्षेत्र में प्रयास कर सकते है या अध्ययन जारी रख सकते है , या तो छात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं या चार वर्षीय के स्नातक ऑनर्स के साथ अध्ययन जारी रख सकते है। निकास 4 पर पहले, उन्हें स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त होता है और बाद में स्नातक ऑनर्स उपाधि प्राप्त होती है। इसी तरह, स्तर 9 पर प्रवेश 5 होता है यदि आवश्यक संख्या में क्रेडिट अर्जित करता है तो निकास 5 होता है।

वर्तमान व्यवस्था और भविष्य की आवश्यकता : एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट

अभी भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश और निकास के नियम अत्यधिक कठोर हैं। प्रवेश और निकास अत्यंत दुष्कर और कई मामलों में नुकसानदायक है। एक बार पढ़ाई छोड़ देने के बाद यदि पढ़ाई पुनः करनी हो तो दुबारा से प्रवेश बिन्दु से ही आरंभ करना पड़ता है -यानि पहले की गई पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं रहता। इसी समस्या से निजात पाने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था की जा रही है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दरअसल एकाधिक प्रवेश निकास के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक योजना है। क्योकि क्रेडिट का अंतरण इस बैंक द्वारा ही संभव हो पाएगा। इस संबंध में 28 जुलाई, 2021 को भारत सरकार द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना में, यूजीसी द्वारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर एक विनियमन जारी किया गया था। (UGC, 2021-A) विनियमन के खंड-3 में कहा गया है कि, *" एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इन विनियमों के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के पाठ्यक्रम ढांचे और अंतःविषय या बहु विषयक अकादमिक गतिशीलता के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का उचित क्रेडिट अंतरण-तंत्र विकसित होगा और छात्रों को उपाधि या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या*

अकादमिक योग्यता प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं का अधिगम मार्ग के चयन की सुविधा प्राप्त होगी , साथ ही साथ किसी भी समय , कहीं भी , और किसी भी स्तर की शिक्षा के लिए एकाधिक प्रवेश-निकास के सिद्धांत के माध्यम से कार्य करना।" (UGC, 2021 A, p . 10) एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर विनियमन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीयन अनुमोदन के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के उद्देश्यों, संगठनात्मक संरचना, कार्यों, पात्रता मानदंडों को निर्दिष्ट करता है। इसके बाद, भारत सरकार की एक वेबसाइट के माध्यम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय क्रेडिट अंतरण: कार्यान्वयन, मुद्दे और चुनौतियां

भारत सरकार ने जनवरी 2021 में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच राष्ट्रीय क्रेडिट अंतरण ढाँचा पर एक समिति का गठन किया था। राष्ट्रीय क्रेडिट अंतरण ढाँचा विभिन्न निकास बिंदुओं पर संस्थानों के बीच छात्रों की गतिशीलता को सक्षम बनाएगा। ऊपर उल्लेख किया गया है, एकाधिक प्रवेश-निकास, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर विनियमन और राष्ट्रीय क्रेडिट अंतरण ढाँचा बनाने के प्रयासों पर दिशानिर्देश जारी किए गए है। यद्यपि, एक संस्थान के मुखिया और उच्च शिक्षा के शिक्षकों को एकाधिक प्रवेश-निकास प्रणाली के कार्यान्वयन के कुछ मुख्य मुद्दों और चुनौतियों को समझना चाहिए।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया विनियमन** – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी ' डिग्री के विनिर्देशन ' की राजपत्र अधिसूचना में डिग्री के विनिर्देशन , प्रवेश योग्यता और न्यूनतम अवधि निर्दिष्ट की जाती है। (यूजीसी, 2014) । डिग्री के विनिर्देशन पर राजपत्र अधिसूचना को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र की संरचना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा बताए गए परिवर्तनों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एकाधिक प्रवेश निकास को सक्षम के लिए विनियमन बनाने की आवश्यकता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी निर्णय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी 'डिग्री के विनिर्देशन, 2014' की राजपत्र अधिसूचना का उल्लंघन माना जाएगा।

- **एकाधिक प्रवेश निकास के लिए पाठ्यक्रम पुनर्गठन**- राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020, एकाधिक प्रवेश निकास दिशानिर्देश (यूजीसी, 2021) और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विनियम (यूजीसी, 2021-A) में एकाधिक प्रवेश निकास व्यवस्था के संदर्भ में अभिनव बहु-विषयक पाठ्यक्रम का प्रावधान किया है। इन दिशानिर्देशों के संदर्भ में सुझाव यह है कि पाठ्य - वस्तु और पाठ्यक्रमों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे स्नातक के प्रथम वर्ष में सफल होने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा , स्नातक के द्वितीय वर्ष में सफल होने पर डिप्लोमा , स्नातक के तृतीय वर्ष पर स्नातक उपाधि और स्नातक के चौथे वर्ष में सफल होने पर स्नातक ऑनर्स उपाधि प्रदान की जाए , जो हर वर्ष पार्श्व तरीके से प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। मैं इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एकाधिक प्रवेश निकास दिशानिर्देश से उभरने वाला एकल मार्ग मॉडल मानती हूँ। संदेश यह है कि एकल मार्ग मॉडल में , पहला और दूसरा वर्ष विषय, अन्य विषयों, कौशल, संचार आदि की सामान्य समझ के लिए समर्पित है और तीसरा और चौथा वर्ष किसी दिए गए विषय में गहन विशेषज्ञता के लिए समर्पित है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले अर्थशास्त्र के वर्तमान पाठ्यक्रम पर विचार करे तो, जिसमें 14 मुख्य पाठ्यक्रम, 14 विषय विशिष्ट वैकल्पिक पाठ्यक्रम, 10 सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम, 3 कौशल वृद्धि वैकल्पिक पाठ्यक्रम हैं।

पाठ्यक्रम की संरचना विभिन्न विकल्पों के प्रदर्शन के साथ-साथ अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता की उच्च उपाधि की अनुमति देती है। अर्थशास्त्र के शिक्षकों के लिए विशेषज्ञता का त्याग किए बिना एकल मार्ग का अनुसरण करना वास्तव में कठिन है। अन्य सभी विषयों के शिक्षकों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम संरचना को विशेषज्ञता का त्याग किए बिना एकाधिक प्रवेश निकास वाले एकल मार्ग में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या कोई बहुआयामी वैकल्पिक मॉडल हो सकता है जिसमें प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक के लिए पाठ्यक्रम संरचना अलग हो और प्रवेश के स्तर पर छात्र प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम,

डिप्लोमा पाठ्यक्रम, स्नातक और स्नातक ऑनर्स के लिए उसे एक विकल्प बना सकते है। एकाधिक प्रवेश निकास के साथ एकल मार्ग में उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण के खतरे से बचने की आवश्यकता है।

- **विविध मुद्दे**-निकास के बाद प्रवेश की समयावधि तय करने का भी प्रश्न है। इसके अलावा , विभिन्न प्रवेश स्तरों पर पार्श्व प्रवेश के लिए कितना प्रतिशत होना चाहिए ? यदि सभी पार्श्व प्रवेश पदों को नहीं भरा जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा ? यदि कोई छात्र किसी दिए गए वर्ष में आवश्यक क्रेडिट सफलतापूर्वक पूरा नहीं करता है, तो भी एक समस्या है, क्या वर्ष के अंत में निकास की अनुमति होगी ?

निष्कर्ष- इस पर्चे में मैंने एकाधिक प्रवेश निकास के दिशानिर्देशों पर चर्चा की है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पर एक विनियमन बनाया गया है जो एकाधिक प्रवेश-निकास की संभावनाओं के बारे में बात करता है। हालांकि, इस मार्ग में चुनौतियां हैं जिसके लिए पाठ्यक्रम पुनर्गठन का सुझाव दिया गया है लेकिन राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका सफल क्रियान्वयन जरूरी है।

*****

संदर्भ

- भारत सरकार, एनईपी-2020, शिक्षा मंत्रालय।
- (UGC, 2014) https://www.ugc.ac.in/pdfnews/1061840 specification - of - degrees- july - 2014.pdf
- (http://du.ac.in/uploads/RevisedSyllabi1/Annexure 170 % 20 % 28B.A. % 20 % 28Hons . % 29 % 20Economics % 29.pdf)
- (https://www.abc.gov.in/)